सत्यमेव जयते

रेल दावा अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ

वाद संख्या–OA(IIu)/ALD/594/2020

पीठासीनः

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक)/इलाहाबाद न्यायपीठ

संस्थन की तिथिः 20.07.2020
निर्णय की तिथिः 07.03.2024

1. परमानन्द कुमार पुत्र रामेश्वर कुमार उम्र लगभग 74 वर्ष

निवासी– गांव व पोस्ट– भ्रमपुर, पंचायत– नगरपारा, ईस्ट ब्लॉक– नारायणपुर, पुलिस स्टेशन– दीहपुर, जिला– भागलपुर (बिहार)।

....आवेदक

बनाम

भारत संघ,

द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

....उत्तरदाता

दावा राशिः रू. 8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः

याची की ओर से– श्री डी.के.त्रिपाठी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से– श्री ए.के.मिश्रा, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक)ः

1. आवेदक परमानन्द कुमार की ओर से यह याचिका रेल दावा अधिनियम 1987 की धारा 16 के तहत दिनॉक 13.02.2020 को रोहित कुमार की रेल दुर्घटना में मृत्यु होने के परिणामस्वरूप भारत संघ, द्वारा महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 08 लाख रूपये मय ब्याज सादर दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

2. आवेदक परमानन्द कुमार के अभिकथन के अनुसार, मृतक दिनॉक 13.02.2020 को द्वितीय श्रेणी के टिकट के साथ कटनी से बरौनी तक की यात्रा सुपरफास्ट ट्रेन से कर रहा था। जब ट्रेन नैनी और चुनार के मध्य पहुॅच रही थी तभी अचानक मृतक उक्त ट्रेन से गिर गया और दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। यात्रा टिकट की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है। मृतक की मृत्यु उत्तरदाता द्वारा बरती गयी कुप्रबंधन के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में उत्तरदाता से आवेदिका 08 लाख रूपये प्रतिकर के साथ उक्त राशि पर ब्याज पाने की अधिकारी है।

3. उत्तरदाता की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मृतक को रेल का सद्भावी यात्री होना स्पष्टतः स्वीकार किया गया है लेकिन कहा गया है कि मृतक को चोटें स्वयं की लापरवाही से पहुॅची हैं, मृतक दुर्घटनावश ट्रेन से नहीं गिरा है। आवेदक द्वारा यह याचिका झूठी है एवं असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है। मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः यह याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

वाद–बिन्दु

4. आदेश दिनांक 26.07.2021 से यह स्पष्ट है कि अनावेदक रेलवे ने स्पष्टतः यह स्वीकार किया है कि मृतक रेल का सद्भावी यात्री था। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 26.07.2021 को चार वाद बिन्दु बनाये गये, जिनका हिन्दी रूपान्तरण निम्नवत् हैः–

1. क्या मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना रेलवे अधिनियम की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124 (ए) के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?
2. क्या आवेदक मृतक का आश्रित है?
3. क्या आवेदक किसी राहत और ब्याज का अधिकारी है, जैसा कि आवेदन में प्रार्थना की गई है?
4. आवेदक किस उपशम को प्राप्त करने का अधिकारी है?

5. आवेदक की ओर से इस याचिका के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र अ.स.क्र. 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र के साथ प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में रेल यात्रा टिकट, पंचनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति एवं अपना आधाार कार्ड प्रति प्रदर्श ए–1 लगायत ए–4 प्रस्तुत किया गया है।

6. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

7. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के.त्रिपाठी एवं उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के.मिश्रा द्वारा बहस की गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद–बिन्दु संख्या–1

8. उपरोक्त बिन्दु के तारतम्य में यह कि जो घटना घटित हुयी है, क्या वह अनपेक्षित घटना की परिभाषा के अन्तर्गत आती है। 'अनपेक्षित घटना', रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) (2) सपठित धारा 124 से स्पष्ट है कि एक यात्री को ले जाने वाली गाड़ी से यदि किसी यात्री की दुर्घटनावश गिरने से मृत्यु हो जाती है तो वह घटना, अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आयेगी। धारा 124 में रेलवे प्रशासन के दायित्व की सीमा कहॉ तक है, इसका वर्णन किया गया है। अब यह देखना है कि उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में आवेदक की ओर से अपने प्रकरण को कहॉ तक प्रमाणित किया गया है। आवेदक ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि मृतक रोहित कुमार उसका अविवाहित पुत्र था। दिनांक 13.02.2020 को उसका पुत्र कटनी से बरौनी तक की यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट के साथ यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन नैनी और चुनार रेलवे स्टेशन के मध्य चल रही थी तभी उसका पुत्र चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्य हो गयी। साक्षी ने अपने कथनों के समर्थन में अपना आधार कार्ड, रेल टिकट छायाप्रति, पंचनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श ए–1 लगायत ए–4 प्रस्तुत किये हैं। अनावेदक रेलवे की ओर से प्रति परीक्षण के दौरान साक्षी ने कहा है कि उसकी पत्नी का देहांत इस घटना से पहले ही हो चुका है। अतः प्रति

परीक्षण के दौरान साक्षी के कथनों में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिससे साक्षी के दिए गए उपरोक्त कथनों पर अविश्वास किया जा सके।

9. जहॉ तक अनावेदक रेलवे की ओर से अपने जवाबदावा के समर्थन में किसी साक्ष्य की बात है तो इस सम्बन्ध में अनावेदक रेलवे की ओर से किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं बल्कि वैधानिक विवेचना आख्या (डी.आर.एम रिपोर्ट) को ही अपने साक्ष्य के रूप मे पढ़े जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से जो पंचनामा प्रदर्श ए–3 प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार मृतक की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना में आयी चोटों के कारण होना अंकित है। उक्त पंचनामा के अनुसार मृतक का शव रेल पटरी के किनारे पड़ा था। डी.आर.एम रिपोर्ट में प्रभारी निरीक्षक/आर.पी.एफ द्वारा जो जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष लिखे हैं उसमें घटना चुनार में होना दर्ज किया गया है, मृतक के वैध यात्री होने का प्रमाण पाया गया है और मृतक का जनरल टिकट दिनांक 13.02.2020 को कटनी से जारी होना बताया गया है। यह भी बताया गया है कि मृतक ट्रेन के डिब्बे में पायदान पर यात्रा कर रहा होगा और रात्रि के समय नींद आने के कारण ट्रेन से गिर गया होगा जिससे घटना घटित हुयी। रेल यात्रा टिकट मृतक के पास से पाया गया और प्राप्त टिकट का सत्यापन अनावेदक रेलवे द्वारा कराने पर बताया गया कि यह एक वैध टिकट था तथा मृतक रेल का एक सद्भावी यात्री था। अतः अनावेदक की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जो कि आवेदक परमानंद के कथनों को अविश्वसनीय बनाता हो।

10. जहां तक मृतक की लापरवाही का सवाल है, इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टांत भारत संघ बनाम रीना देवी में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 124–ए, रेल दावा अधिकरण

अधिनियम, 1989 को उद्धृत करते हुए कि, ''केवल यात्री की लापरवाही उसे प्रतिकर पाने से वंचित नहीं कर सकती, जब तक कि धारा 124–ए के परन्तुक के अधीन वह लापरवाही आपराधिक प्रवृत्ति की न हो, जिन्हें उक्त धारा के अधीन परिभाषित किया गया है।'' अनावेदक रेलवे की ओर से इस बारे में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि मृतक द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 124–ए की परन्तुक के अधीन मृतक द्वारा लापरवाही बरती गयी हो। जहां तक मृतक के पास टिकट होने का सवाल है, इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि मृतक से टिकट बरामद हुआ है एवं वह टिकट रेलवे द्वारा सत्यापन में सही पाया गया है।

11. अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली पर मौजूद सभी दस्तावेजों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतक सद्भावी यात्री होकर ट्रेन से यात्रा कर रहा था तथा मृतक की मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी है, जो कि रेल अधिनियम की धारा– 123 (सी) (2),सपठित धारा 124–ए, रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित रेल दुर्घटना' की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1, तद्नुसार सकारात्मक रूप से आवेदक के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 2

12. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक के आश्रित कौन हैं? आवेदक स्वयं परमानन्द कुमार, अ.स.क्र.1 ने अपने शपथ पत्र एवं कथनों के दौरान कहा है कि उसकी पत्नी की मृत्यु इस दुर्घटना के पूर्व हो चुकी है तथा अपने अविवाहित पुत्र की मृत्यु के पश्चात् केवल

वह स्वयं ही मृतक के आश्रित की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आवेदक द्वारा राशन कार्ड प्रति प्रस्तुत की गयी है। यह साक्ष्य अखण्डित है। प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डित साक्ष्य प्रस्तत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक परमानन्द कुमार, मृतक के आश्रित हैं तथा मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। धारा 123 (बी) (1) रेल अधिनियम, 1989 के अनुसार– डिपेंडेंट के अन्तर्गत यदि मृतक अविवाहित था तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रितों के अन्तर्गत उसके माता–पिता प्रथम वारिस के रूप में सम्मिलित होंगे। अतः उक्त प्रावधान एवं आवेदक के कथनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णीत किया जाता है कि मृतक के वारिस के रूप में स्वयं आवेदक परमानन्द कुमार मृतक के आश्रित हैं। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 2 आवेदक के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु संख्या 3 व 4</u>

13. यह दोनों वाद–बिन्दु एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित हैं। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877, दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में आवेदक, प्रतिकर के रूप में रू. 8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत

साधारण वार्षिक ब्याज, दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

14. आवेदक की याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता को निर्देशित किया जाता है कि वह कुल रू. 8,00,000/–(आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करेंगे।

15. जहॉ तक एवार्ड राशि का आवेदक को वितरण का सवाल है, इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्रकरण गीता देवी बनाम भारत संघ मामले में लिये गये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एवार्ड राशि का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा–

क. आवेदक परमानन्द कुमार को आवंटित एवार्ड धनराशि रू. 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) का 10 प्रतिशत, रू. 80,000/– (रूपये अस्सी हजार मात्र) की राशि तथा 8 लाख रूपये की राशि पर जोड़े गये ब्याज की राशि, ई.सी.एस. द्वारा उनके एकल बचत बैंक खाते में भुगतान की जाएगी तथा शेष राशि रू. 7,20,000/– (रूपये सात लाख बीस हजार मात्र) एफ.डी.आर. के रूप में 3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका आनुपातिक ब्याज आवेदक अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करता रहेगा।

ख. मूल नियत निक्षेप, बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।

16. आवेदक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने एकल बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक को, उत्तरदाता द्वारा एवार्ड राशि का भुगतान इस न्यायाधिकरण के सूटर्स बैंक खाते में किये जाने के बाद से, एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

17. एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि आवेदक के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

18. बैंक, आवेदक की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। आवेदक विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

19. प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णीत प्रतिकर की एवार्ड धनराशि, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के सूटर्स बैंक खाता में जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 60 दिन के भीतर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है, तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक, 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि गणना सीट के साथ इस न्यायाधिकरण

के अपर निबंधक के पास जमा करायें। इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक एवार्ड की धनराशि का, आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, 90 दिनों के भीतर भुगतान करें।

20. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाए और आवेदक को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तद्नुसार, समस्त औपचारिकताएॅ पूर्ण होने के उपरान्त फाइल को दाखिल–दफ्तर किया जाए।

21. पत्रावली दिनांक 13.06.2024 को उक्त आदेश के अनुपालन सम्बन्धी जांच हेतु नियत की जाती है।

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)